

# बढ़ते व्यापार घाटे से नीति आयोग चिंतित

## निर्यात बढ़ाने के उपाय करने का आह्वान किया

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि वे रुपए में गिरावट के बजाय बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्र हैं, जिन्हें मजबूत रुपए से फायदा होता है लेकिन मौजूदा स्थिति में रुपए की गिरावट को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

उद्योग मंडल सीआइआइ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुमार ने कहा, 'मैं मजबूत रुपए पर विश्वास नहीं करता। सरकार के लिए रुपए को सुदृढ़ करने के प्रयास करना और कदम उठाना बहुत मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूत मांग से रुपया 16

अगस्त को 70.32 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिर गया था। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीति में केवल राजकोषीय घाटे के आंकड़े पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका, चीन व यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं राजकोषीय घाटे को ज्यादा महत्व नहीं देती।

कुमार बोले, 'हमें चर्चा को राजकोषीय घाटे से हटाना चाहिए। हमें इस एक आंकड़े (राजकोषीय घाटे) से आगे बढ़ने की जरूरत है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। इसीलिए हमें भी इस तरह से आगे बढ़ना होगा, जो हमारी जरूरतों के अनुरूप हों। चिंता का मुख्य कारण व्यापार घाटा है। मुझे लगता है कि निर्यात बढ़ाने के प्रयास करना और इसे बढ़ाना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा परिस्थिति में

एक ही समय राजकोषीय और मौद्रिक नीति को कड़ा किया जाना समस्या को दावत देना होगा।

कुमार ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को व्यापार सौदा करते समय बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गुमान नहीं रखना चाहिए क्योंकि देश की प्रति व्यक्ति आय अब भी नीचे है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग जल्दी ही 'न्यू इंडिया 2022' के लिए विकास एजेंडा पेश करेगा। कुमार ने कहा, 'हम चाहेंगे कि राज्य सरकारों के योजना विभाग राज्य नीति आयोग के रूप में काम करें।' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना क्रियान्वित करने के लिए लगभग सभी राज्यों (चार को छोड़कर) ने केंद्र के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। कुमार ने कहा, 'मैंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, वे भी इसे लागू करने की इच्छुक हैं।'

# निजी विमानन कंपनियों को अपने मुद्दे खुद ही सुलझाने होंगे : प्रभु

नई दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा)।

जेट एअरवेज के वित्तीय संकट की रपटों के बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि निजी एअरलाइंस को अपनी चुनौतियों से खुद निपटना होगा, सरकार की भूमिका तो केवल नीतिगत स्तर की ही हो सकती है। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि एअरलाइन उद्योग संकट से गुजर रहा है। कच्चे तेल के ऊंचे दाम और कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ रहा है, जिससे उनका मुनाफा भी घट रहा है।

जेट एअरवेज की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे जाने पर प्रभु ने कहा- हमें उनकी स्थिति

की जानकारी नहीं है। पिछले 25 साल से उड़ान सेवाएं दे रही पूर्ण सेवा विमानन कंपनी इस समय वित्तीय संकट से जूझ रही है। इससे पहले इसी महीने कंपनी ने जून तिमाही नतीजों की घोषणा टाल दी थी। हाल के हफ्तों में जेट एअरवेज के शेयर मूल्य में भी गिरावट आई है।

प्रभु ने इंटरव्यू में कहा- हमें उनकी स्थिति की जानकारी नहीं है। जहां तक निजी एअरलाइंस का सवाल है, उन्हें अपने मुद्दों से खुद ही निपटना होगा। मंत्रालय सिर्फ नीतिगत पहलू पर गौर कर सकता है। जेट एअरवेज वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी ने नौ अगस्त को जून तिमाही के अनांकक्षित नतीजों को टाल दिया था।

# आइआइटी हैदराबाद ने फैबलेस चिप डिजाइन इन्क्यूबेटर शुरू किया

हैदराबाद, 21 अगस्त (भाषा)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने मंगलवार को फैबलेस चिप डिजाइन इन्क्यूबेटर (हार्डवेयर उपकरणों और सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन) शुरू करने की घोषणा की। यह इस क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए विशेष रूप से समर्पित है।

आइआइटी ने एक बयान में कहा कि तीन स्टार्टअप कंपनियों इससे जुड़ चुकी है। इसने कहा कि फैबसीआइ भारत में अपनी तरह का पहला इन्क्यूबेटर है जो चिप डिजाइन में स्टार्टअप कंपनियां तैयार करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर केंद्रित है।

राजनीतिक व्यक्तियों के मुकदमों के लिए गठित विशेष अदालतों के संबंध में

# सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी जानकारी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से कहा कि उसके पिछले साल के आदेश के बाद राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित की गई विशेष अदालतों का ब्योरा पेश किया जाए। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को राजनीतिक व्यक्तियों की संलिप्तता वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें गठित करने और इनमें

एक मार्च से कामकाज सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्र को दिया था।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पीठ ने यह जानकारी मुहैया कराने का केंद्र को निर्देश दिया कि ये विशेष अदालतें सत्र अदालत हैं या फिर मजिस्ट्रेट की अदालत हैं। पीठ ने इनके अधिकार क्षेत्र का विवरण भी मांगा है। पीठ ने सरकार को यह बताने का भी निर्देश दिया है कि ऐसे हरेक विशेष अदालत में कितने मामले लंबित हैं और इनमें से मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत में

मुकदमे लायक मामले कौन-कौन से हैं। पीठ यह भी जानना चाहती है कि क्या सरकार की मंशा अभी तक स्थापित की जा चुकी अदालतों से इतर भी अतिरिक्त विशेष अदालतें गठित करने की है। अदालत ने यह सारी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने के साथ ही इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि राजधानी में दो विशेष अदालतें गठित की जा चुकी हैं।

## unitech

यूनीटेक लिमिटेड

CIN: L74899DL1971PLC009720

पंजीकृत कार्यालय: बेसमेंट, 6, कम्युनिटी

सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

फोन: 011-26857331,

फैक्स: 011-26857338

ईमेल : share.dept@unitechgroup.com

वेब: www.unitechgroup.com

### नोटिस

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियम 29 (1) (ए) के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 29 अगस्त, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनांकक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया जाएगा।

निवेशक, वेबसाइटों www.unitechgroup.com, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com भी देख सकते हैं।

कृते यूनीटेक लिमिटेड  
हस्ता/  
ऋषि देव  
कंपनी सचिव

नई दिल्ली  
21.08.2018